भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 283
उत्तर देने की तारीख: 27.11.2024

वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण

283. **श्री बसवराज बोम्मई:**

क्या अल्पसंख्यक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार कर्नाटक में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण और अवैध हस्तांतरण से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कर्नाटक, विशेषकर हावेरी/गदग जिलों जैसे क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों के अतिक्रमण की जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार के पास पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों पर अनाधिकृत कब्जे अथवा दुरुपयोग के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वक्फ भूमि के अवैध हस्तांतरण, बिक्री अथवा पट्टे को रोकने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क): WAMSI (भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पर उपलब्ध विवरण के अनुसार 58,929 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण का सामना कर रही हैं, जिनमें से कर्नाटक में 869 ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं।

(ख) से (घ): वक्फ अधिनियम की धारा 54 और 55 के अनुसार, राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा, वक्फ अधिनियम की धारा 51 (1-क) में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 56 के तहत वक्फ संपत्ति पट्टा नियम, 2014 तैयार किया है, जो राज्य वक्फ बोर्डों (SWB) को वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर देने का अधिकार देता है।

मंत्रालय और केन्द्रीय वक्फ परिषद (CWC) को समय-समय पर वक्फ संपत्तियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं और उन्हें उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य वक्फ बोर्डों और राज्य सरकारों को अग्रेषित किया जाता है।

******